न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :—63 / 2025

प्रार्थीः—

दीपसिंह पुत्र मोकसिंह जाति राजपुत निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा राज.।

बनाम

विप्रार्थीः—

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा
2. हुक्मसिंह पुत्र मोकसिंह जाति राजपुत
3. महावीरसिंह पुत्र भवानीसिंह जाति राजपुत
4. छैलकंवर पत्नि भवानीसिंह जाति राजपुत निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती

उपस्थित :—

श्री कैलाशपूरी गोस्वामी अधिवक्ता प्रार्थी

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 22.01.2026

प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि के खसरा संख्या 1000, 1014, 1001 व 994 रकबा क्रमशः 1.2082, 1.3543, 1.2793 व 1.2866 हैक्टेयर भूमि ग्राम मोकलसर तहसील सिवाना में अवस्थित है उक्त भूमियों में प्रार्थी का नाम "दलपतसिंह पुत्र मोकसिंह" तथा खसरा संख्या 1064, 1065, 1067 व 1145 रकबा क्रमशः 0.0546, 0.0011, 2.4930 व 1.8766 हैक्टेयर भूमि ग्राम मोकलसर तहसील सिवाना में अवस्थित है उक्त भूमियों में प्रार्थी का नाम "दीपा पुत्र मोका" दर्ज कर दिया, जबकि प्रार्थी के समस्त सरकारी व गैर सरकारी दस्तावेजात यथा जनआधार, पेन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व बैंक डायरी में प्रार्थी का नाम वास्तविक नाम "[illegible] मोकसिंह" दर्ज है इस प्रकार प्रार्थी का नाम का अशुद्ध अंकित होने से प्रार्थी [illegible] भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले [illegible] है। अतः [illegible] का नाम राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.19 11:45:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र के समर्थन में जनआधार, पेन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व बैंक डायरी आदि प्रस्तुत किये ।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी ।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम ''दीपसिंह पुत्र मोकसिंह'' है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि के खसरा संख्या 1000, 1014, 1001 व 994 रकबा क्रमशः 1.2082, 1.3543, 1.2793 व 1.2866 हैक्टेयर भूमि ग्राम मोकलसर तहसील सिवाना में प्रार्थी का नाम ''दलपतसिंह पुत्र मोकसिंह'' तथा खसरा संख्या 1064, 1065, 1067 व 1145 रकबा क्रमशः 0.0546, 0.0011, 2.4930 व 1.8766 हैक्टेयर भूमि ग्राम मोकलसर तहसील सिवाना में प्रार्थी का नाम ''दीपा पुत्र मोका'' त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के जनआधार, पेन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व बैंक डायरी आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम ''दीपसिंह पुत्र मोकसिंह'' दर्ज है, किन्तु विवादित भूमियों में प्रार्थी का नाम ''दलपतसिंह पुत्र मोकसिंह'' तथा ''दीपा पुत्र मोका'' करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से भी प्रार्थी का वास्तविक नाम ''दीपसिंह पुत्र मोकसिंह'' होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.19 11:45:54 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर के खसरा संख्या 1000, 1014, 1001 व 994 रकबा क्रमशः 1.2082, 1.3543, 1.2793 व 1.2866 हैक्टेयर भूमि

ग्राम मोकलसर तहसील सिवाना के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम ''दलपतसिंह पुत्र मोकसिंह'' तथा खसरा संख्या 1064, 1065, 1067 व 1145 रकबा क्रमशः 0.0546, 0.0011, 2.4930 व 1.8766 हैक्टेयर भूमि ग्राम मोकलसर तहसील सिवाना के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम ''दीपा पुत्र मोका'' के स्थान पर ''दीपसिंह उर्फ दलपतसिंह उर्फ दीपा पुत्र मोकसिंह उर्फ मोका'' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को तद्नुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 22.01.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.19 11:45:54 IST
Reason: SelfAttested